न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

पीठासीन अधिकारी :– बाबूलाल जाट (R.A.S.)

राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्या 104 / 2020 (GCMS 2020/00203)

प्रार्थी

1. नारायणी देवी पत्नी सेवाराम जाति जाट उम्र 73 वर्ष निवासी सुजानपुरा तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर राजस्थान।

बनाम

अप्रार्थीगण

1. सुखराम पुत्र मांगुराम जाति जाट निवासी सुजानपुरा तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर राजस्थान
2. शाखा प्रबंधक ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स शाखा कुचामनसिटी जिला नागौर
3. राजस्थान सरकार भूमिधारी जरिये प्रतिनिधि तहसीलदार कुचामनसिटी जिला नागौर।

प्रार्थना–पत्र रास्ता दिलाने बाबत अन्तर्गत धारा 251 (A) R.T.Act 1955

उपस्थित – श्री बिरमाराम चौधरी अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।

आदेश

दिनॉक :– 26-02-2021

प्रस्तुत प्रकरण का सार संक्षेप में इस प्रकार से है कि ग्राम भैरूपुरा पटवार मण्डल पांचवा तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर के खसरा नम्बर 242 / 158 रकबा 1.69 हैक्टर में कब्जाशुदा खातेदारी की आई हुई है, उक्त भूमि पर प्रार्थीया मौके पर अपनी सुविधा अनुसार काश्त करती आ रही है प्रार्थीया को अपनी खातेदारी भूमि में आने जाने के लिए रास्ते की आवश्यकता है अतः प्रार्थीया अपनी खातेदारी भूमि में रास्ते के सम्बन्ध में आज्ञा जारी करवाने के सम्बन्ध में यह प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया है जिसके साथ चालू जमाबंदी नकल एवं नक्शा ट्रेस की प्रति प्रस्तुत की है, उक्त खसरा नम्बर 242 / 158 में आने जाने हेतु कोई रास्ता नही है तथा खसरा नम्बर 158 की सीमा लगती हुई है तथा प्रार्थीया के खेत के दक्षिण दिशा में खसरा नम्बर 158 के जिसके पक्की डामर सड़क का रास्तालगा हुआ है इसके अलावा प्रार्थीया को आने–जाने के लिए कोई अन्य वैकल्पिक रास्ता नही है जिसके लिये खसरा नम्बर 158 भूमि के दक्षिण दिशा के पूर्वी माठ के सहारे–सहारे दक्षिण से उत्तर की ओर 335 [illegible] लम्बा व 17.6 फीट चौड़ा रास्ता प्रार्थीया के खेत में आने के लिए चाहती है [illegible] ट्रेस में लाल स्याही से दर्शाया गया है, प्रार्थीया के चाहे गये रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नही है, उक्त रास्ते की प्रतिकर राशि जमा करवाने हेतु प्रार्थीया तैयार है, प्रार्थीया की [illegible] है कि उपरोक्तानुसार रास्ता दिलवाने के आदेश प्रदान फरमाने की महरबानी करावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.04.12 17:59:24 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

उपखण्ड अधिकारी

प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 ने उपस्थित होकर दिनॉक 17.02.2021 को लिखित में राजीनामा प्रस्तुत किया, जिसे तस्दीक किया जाकर शामिल मिसल किया गया, अप्रार्थी संख्या 2 व 3 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे जिससे उनके विरूद्व एक–पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी सं. एक ने राजीनामा में कथन किया है कि प्रार्थीया को उनकी खातेदारी की कृषि भूमि ग्राम भैरूपुरा के खसरा नम्बर 242 / 158 के उपयोग व उपभोग हेतु वांछनीय एक मात्र रास्ता जो ग्राम भैरूपुरा के खसरा नम्बर 158 रकबा 4.22 हैक्टर भूमि के पूर्वी माठ के सहारे–सहारे दक्षिण से उत्तर की ओर 335 फीट लम्बा व 17 फीट चौड़ा रास्ते हेतु 0.05477 हैक्टर भूमि दी जाती है तो अप्रार्थी सं. 1 को कोई आपत्ति नही है तथा रास्ते के बदले में 0.082155 हैक्टर कृषि भूमि अप्रार्थी सं. एक ने प्राप्त कर ली है इसलिए अप्रार्थी सं. एक कोई मुआवजा राशि प्राप्त नही करना चाहता है।

तहसीलदार कुचामनसिटी से प्रश्नगत प्रकरण में मौका रिपोर्ट चाही गई जो उनके पत्रांक / भू.अ. / 1159 दिनॉक 14.10.2020 द्वारा इस न्यायालय में दिनॉक 15.10.2020 को प्रस्तुत होकर शामिल मिसल हुई।

दस्तावेज साक्ष्य ग्राम भैरूपुरा के खसरा नम्बर 242 / 158 व 158 के नक्शा ट्रेस की नकल एवं जमाबन्दी नकल सम्वत 2072–2075 ग्राम भैरूपुरा की प्रस्तुत की है।

वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई जिसने कथन किया है कि इस्तदुआ एवं मुताबिक राजीनाम तथा मौका रिपोर्ट अनुसार रास्ता दिलाया जावे। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात इत्यादि का अवलोकन किया गया, जमाबन्दी नकल सम्वत 2072–2075 ग्राम भैरूपुरा के खसरा नम्बर 242 / 158 रकबा 1.69 हैक्टर बारानी तृतीय में नारायणीदेवी पत्नी सेवाराम हिस्सा पूर्ण जाति जाट सा. सुजानपुरा खातेदार दर्ज है तथा खसरा नम्बर 158 रकबा 4.22 हैक्टर बारानी तृतीय में सुखाराम पुत्र मांगुराम हिस्सा पूर्ण जाति जाट सा. सुजानपुरा खातेदा राहिन (पूर्ण खाता) ऑरियन्टल बैंक ऑफ कार्मस शाखा कुचामनसिटी दर्ज है। मौका रिपोर्ट अनुसार प्रार्थीया को नजरी नक्शानुसार खसरा नम्बर 158 की पूर्वी सीमा पर उत्तर से दक्षिणी सीमा पर रास्ता मौके पर है जिसकी लम्बाई 335 फीट लम्बाई एवं चौड़ाई 17.6 फीट मौके पर है रास्ते में छोटे तथा बड़े पेड़ नही है। खातेदार नारायणीदेवी के खेत खसरा नम्बर 242 / 158 में आने जाने के लिए रास्ता खसरा नम्बर 158 में से लिया है जिसके बदले में अपनी भूमि खेत खसरा नम्बर 242 / 158 की पश्चिमी सीमा उत्तर दक्षिण [illegible] फीट लम्बी तथा 17 फीट चौड़ाई दी गई है। अप्रार्थी सं. 1 ने रास्ते [illegible] स्वीकार किया है तथा किसी प्रकार का मुआवजा नही चाहा गया है। अतः प्रार्थना–पत्र प्रार्थीया मुताबिक राजीनामा एवं मौके रिपोर्ट अनुसार इत्यादि से सा[illegible] होने से काबिल स्वीकार योग्य है। अतः प्रार्थना–पत्र प्रार्थीया स्वीकार किया जाता है तथा निम्न प्रकार आदेश दिये जाते है

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.04.12 17:59:24 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

आदेश

ग्राम भैरूपुरा पटवार मण्डल पांचवा तहसील कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 242/158 मे आने जाने व आमद रफत हेतु खसरा नम्बर 158 के की पूर्वी सीमा के सहारे–सहारे 335 फीट लम्बा एवं 17.6 फीट चौड़ा (0.05477 हैक्टर) रास्ता सरकारी (कटाणी) कायम किया जाता है । तहसीदार कुचामनसिटी को राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करने तथा नक्शे में तरमीम किये जाने हेतु तहरीर जारी हो ।

आदेश आज दिनॉक 26/02/2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बाबूलाल जाट **RAS**)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी (नागौर)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.04.12 17:59:24 IST
Reason: SelfAttested

फर्द मौका रिपोर्ट

श्रीमान तहसीलदार साहब कुचामनसिटी के आदेश क्रमांक क्र. 1057 / दिनांक 24-09-2020 एवं श्रीमान न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी के आदेश क्रमांक / कोर्ट/2020/388/ दिनांक 23-9-2020 के प्रार्थना पत्र सं. 104/2020 नारायणी देवी सुजानपुरा बनाम सुखाराम वगैरह अन्तर्गत धारा 251(A) आर.टी.एक्ट रास्ता हेतु आज दिनांक 29-9-2020 को ग्राम भैरुपुरा के खे.न. 252/158 एवं 158 का मौका निरीक्षण किया गया जो निम्न प्रकार से है।-

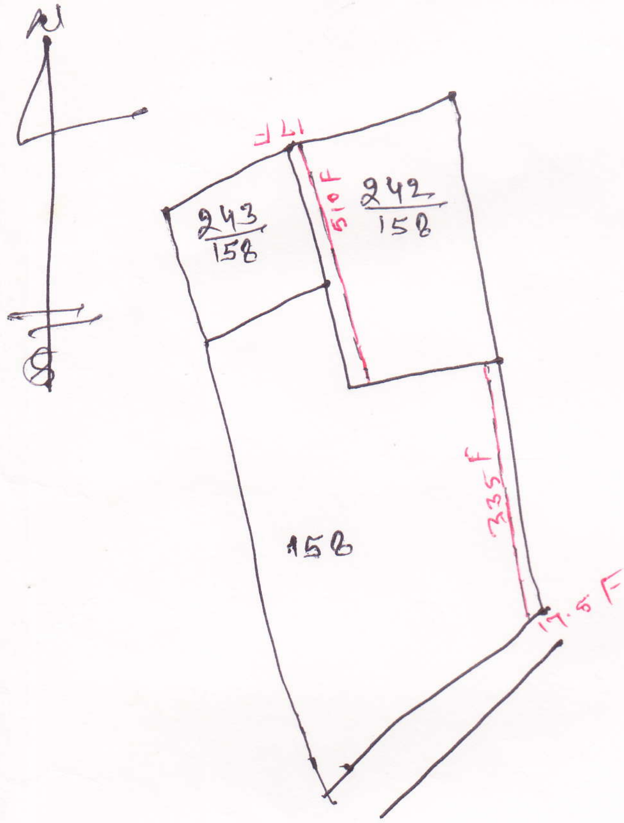

उपरोक्त नजरी नक्शा अनुसार खे.न. 158 की पूर्वी सीमा पर उत्तरी से दक्षिणी सीमा पर रास्ता मौके पर है जिसकी लम्बाई 335 फीट एवं चौड़ाई 17.6 फीट मौके पर है। रास्ते में छोटे तथा बड़े पेड़ नहीं है।

खातेदार नारायणी देवी के खेत खे.न. 252/158 में आने-जाने के लिए रास्ता ... से लिया है जिसकी बदली में अपनी भूमि खेत ... सीमा उत्तरी दक्षिणी भूमि 510 फीट लम्बी तथा ... फीट चौड़ी दी गयी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.04.12 17:39:24 IST
Reason: SelfAttested

मौके पर नारायणी देवी के पुत्र नाथूराम जाट उम्र 55 वर्ष एवं प्रतिवादी सुखाराम के पुत्र जयराम जाट उम्र 40 वर्ष मिले जिनको फर्द पढ़कर सुनाई गयी। फर्द पर हस्ताक्षर करवाये गये।

29/9/20
पटवारी

नाथूराम

29/9/2020

ILR पोचमर्मा